R.M.M. Law College - Saharsa.
P.1 Manvendra Mandal Subject - Drafting and Pleading
part time Lecturer part - II

अभिवचन के स्पष्टता एवं निश्चितता के नियम-

यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक अच्छे अभिवचन के लिए स्पष्टता (precision) एक आदर्श गुण है। इसलिए खास कर अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को लिखित अभिकथन के समय अभिवचन के स्पष्टता एवं निश्चितता के नियम को होशा ध्यान में रखना चाहिए और कभी भी अभिवचन में तथ्यहीन वो अनावश्यक बातों को नहीं लिखना चाहिए, अन्यथा न्यायालय ऐसे सभी अभिकथनों को आदेश - 6, नियम - 19 के अन्तर्गत काट दिया जाएगा। निम्न बातों पर ध्यान देने पर अभिवचनों में स्पष्टता और निश्चितता लायी जा सकती है-

(i) वाद पत्र को प्राय: परिचयात्मक कथनों के साथ आरम्भ करना वांछनीय होता है जिसमें पक्षकारों का नाम, पता एवं व्यवसाय आदि का वर्णन करना चाहिए

(ii) यथासंभव सर्वनामों (Pronoun) का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(iii) यथासंभव वादी एवं प्रतिवादी को उनके नाम से निर्देशित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको 'वादी' एवं 'प्रतिवादी' शब्दों से निर्देशित करना चाहिए।

(iv) जहाँ तक संभव हो वस्तुओं को उनके सही नाम से बताया जाय और प्रत्येक दशा में पूरे अभिवचन एक वस्तु का निर्देश एक ही नाम से किया जाना चाहिए।

(v) यदि कोई वाद किसी दस्तावेज पर किया जा रहा है या किसी अधिनियम का आश्रय लिया जा रहा है तो उसी दस्तावेज या अधिनियम में स्वयं की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। उसकी भाषा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए।

(vi) तथ्यों का कथन दृढ़तापूर्वक, सरलता, स्पष्टता, एवं संक्षिप्तापूर्वक किया जाना चाहिए। 'यदि' तथा 'परन्तु'

Scanned with CamScanner

[2.2] अभिवचन के स्पष्टता एवं निश्चितता के नियम —
शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) ऐक्टिव वाच्य (Active voice) का प्रयोग किया जाना और यथासंभव कर्ता का विलोपन करके 'passive voice' का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(viii) मिश्रित वाक्यों के स्थान पर साधारण तथा छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(ix) अभिवचनों को पैराग्राफ में विभक्त किया जाना चाहिए। पैराग्राफ को क्रमशः संख्यांकित किया जाना चाहिए। तारीख, राशियों, एवं संख्याओं को अंकों में अभिव्यक्त किया जाना चाहिए, साथ ही हर अभिवचन वाद के पक्षकार और उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(x) अभिवचनों में सभी आवश्यक विवरणों का समावेश होनी चाहिए। सूचना के तामील के लिए पक्षकारों का सही पता हस्ताक्षरों के साथ देना चाहिए।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि एक अच्छा अभिवचन संक्षिप्त, स्पष्ट तथा व्यापक होगा और खराब अभिवचन विस्तृत, असंगत, अस्पष्ट होगा तथा उसमें विवरणों का अभाव होगा।

अभिवचन के विशेष नियम —

अभिवचनों के विशेष नियमों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है —

(i) जहाँ विशिष्टियों का दिया जाना आवश्यक है, वहाँ उसको अभिकथित किया जाना चाहिए (आदेश-6, नियम 4)।

(ii) किसी संविदा अथवा उसकी वैधता की स्वीकारोक्ति विनिर्दिष्ट रूप से की जानी चाहिए (आदेश 6 नियम 9)

(iii) जब तक कि किसी दस्तावेज के वास्तविक शब्द सारवान न हो, उसके प्रभाव को अभिकथित किया जाना चाहिए (आदेश 6, नियम 9)

(iv) मनोवैज्ञानिक तथ्यों (जैसे- विद्वेष, ज्ञान आदि) या चित्त की अवस्थाओं को केवल तथ्य के रूप में, बिना विवरण के, अभिकथित किया जा सकता है। (आदेश 6, नियम 10)

(v) सूचना यदि आवश्यक है, का कथन अभिकथन में किया जाना चाहिए, किन्तु विशिष्टियाँ दिये बिना तथ्य में सूचना का अभिकथन पर्याप्त है। (आदेश 6, नियम 10)

Scanned with CamScanner

P-3 अभिवचन के विशेष नियम -

(v) जब कभी पत्रों या वार्तालापों की श्रृंखला से या अन्यथा कई परिस्थितियों से कोई संविदा या अन्य सम्बन्ध विवक्षित किया जाना है, तब ऐसी संविदा या सम्बन्ध को तथ्य के रूप में अभिकथित करना और ऐसे पत्रों, वार्तालापों या परिस्थितियों को ब्यौरेवार दर्ज किये बिना उसके प्रति साधारण निर्देश करना चाहिए।

(आदेश 6, नियम- 12)

अभिवचन के विशेष नियम के संदर्भ में कमलकान्त [redacted] महापात्र बनाम प्रतापचन्द्र महापात्र के वाद में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यह अवलोकित किया गया है कि-

(i) अभिवचन में "असम्यक असर", "कपट" एवं "दुर्व्यपदेशन" (undue influence, fraud, and misrepresentation) का अभिवाक् पृथक- पृथक किया जाना चाहिए।

(ii) विनिर्दिष्टतया (specific) किया जाना चाहिए।

(iii) विशिष्ट तौर पर (particularly) किया जाना चाहिए।

(iv) संक्षेप में किया जाना चाहिए।

Scanned with CamScanner